राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कोलो निगरानी संख्या 2006/2226/गंगानगर **राजाराम बनाम राजस्थान सरकार**

निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय), नियम 1975

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-03-2020	**एकलपीठ** **श्री मोडू दान देथा, सदस्य** **उपस्थित :** **श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक प्रार्थी** **श्रीमती पूनम माथूर, अतिरिक्त उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी** 1. यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय), नियम 1975 विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट राजाराम ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह चक 58 एनपी का निवासी है एवं राजस्थान का निवासी एवं सदभाविक काश्त पेशा है। प्रार्थी के दत्तक पिता सहीराम के नाम से चक 1 एनजेइएमबी के मु0नं0 207/369 की 25 बीघा भूमि 1958–59 से अस्थाई आवंटन चली आ रही थी जो 1967–68 तक लगातार चलती रही इसके पश्चात सहीराम का देहान्त होने के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थी की दत्तक माता धापी के कब्जाकाश्त में चलती रही किन्तु उसमें से 16 बीघा भूमि किसी अन्य को आवंटन कर लिये जाने के कारण कब्जा प्रार्थी की दत्तक माता से आवंटन के आधार पर ले लिया गया तब प्रार्थी छोटा एवं नाबालिग था, प्रार्थी के बालिग होने पर एवं दत्तक माता द्वारा भूमि आवंटन करवाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिये गये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की एवं कब्जा प्रार्थी की दत्तक माता का ही चला आ रहा है तथा प्रार्थी की दत्तक माता के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा जिसका नवीनीकरण उपनिवेशन विभाग के राजस्व विभाग में परिवर्तन होने के कारण नहीं होने से प्रार्थी के विरूद्ध नाजायज काश्त की	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही की जाती रही है। उक्त रकबा के स्थाई आवंटन के लिए कोई सुनवाई नहीं होने के कारण ही रकबा आज तब बिना आवंटन के चला आ रहा है। प्रार्थी विवादित भूमि के आवंटन की पात्रता रखता है। प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने दर्ज कर मूल पत्रावली तलब करने का आदेश दिया तथा आगामी कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से पत्रावली अतिरिक्त कलक्टर, सुरतगढ के न्यायायल में स्थानान्तरित की गई तथा दिनांक 10.12.2001 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो स्वीकार कर प्रकरण दिनांक 07.05.2004 को प्रतिप्रेषित किया गया तथा पुनः सुनवाई करते हुए अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ ने दिनांक 28.03.2005 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 14.02. 2006 को खारिज किये जाने के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस आरम्भ करते हुए कथन किया कि प्रार्थी के दत्तक पिता के पास यह भूमि अस्थाई काश्त पर चली आ रही थी तथा मूल प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी ने प्रस्तुत किया उसमें 9 बीघा भूमि उक्त आवंटन करने की प्रार्थना की गई तथा इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त तहसीलदार बिजयनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी का माना तथा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावजों से यह संदेश परे से साबित था कि सहीराम के नाम पूर्व में जो अस्थाई काश्त हेतु भूमि आवंटित थी सहीराम के वारिस के तौर पर प्रार्थी भूमि आवंटन कराने की पात्रता रखता है। तथा प्रार्थी ने भूमि को आवंटन कराने हेतु उच्चतम न्यायालय तक अनुतोष की प्रार्थना की तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में ही उप जिला कलक्टर रायसिहनगर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जो बाद में अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया तथा समसत दस्तावेजी एवं तथ्यात्मक स्थिति के अनुसरण में	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर द्वारा 07.05.2004 को जो निर्णय पारित किया गया जिसमें निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 पर पैरा संख्या 13 से आगे पृष्ठ संख्या 5 तक प्रदत्त निष्कर्ष के अनुसरण में अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ का पूर्व आदेश दिनांक 10.12.2001 को निरस्त किया था तथा उक्त निर्देशों के अनुसरण में निर्णय देने हेतु पत्रावली प्रतिप्रेषित की थी। इस प्रकार अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पलाना में कार्यवाही करनी थी परन्तु उनके द्वारा दिये गये निर्देशों को नजरअन्दाज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 28.03.2005 के निर्णय के द्वारा खारिज कर जो त्रुटि की गई पुनः अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने इस त्रुटि को बिना अपने निर्णय का आधार बनाये तथा स्वंय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये पूर्व के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए तथा पूर्व में पारित निष्कर्ष को नजरअंदाज करते हुए जो निर्णय दिनांक 14.02.2006 को पारित किया वह पूर्णतया दोषपूर्ण है तथा निरस्त किया जाकर प्रार्थी की निगरानी को स्वीकार किया जावे तथा प्रार्थी का आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। 4. अप्रार्थी की ओर से विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के नाम स्वयं को कभी भी यह भूमि अस्थाई काश्त पर आवंटित नहीं की गई तथा इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से निगरानी सारहीन है इसे खारिज किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाने की प्रार्थना की। 5. हमने दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो आवेदन प्रार्थी द्वारा उप जिला कलक्टर, रायसिंह नगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें एनजेडएमबी के मुरब्बा संख्या 207/339 के किला नम्बर 17 से 25 की कुल 9 बीघा भूमि के पुख्ता आवंटन की प्रार्थना सहीराम का वारिस होने के आधार पर प्रार्थी द्वारा की गई। तथा इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही जो कार्यवाही चल रही थी	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो भूमि पर भौतिक धारण से संबंधित थी जिसमें तहसीलदार, विजयनगर ने भूमि पर काश्त राजाराम का होना माना तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में अपील संख्या 56/2002 का निर्णय राजस्व अपील अधिकारी गंगानगर द्वारा दिनांक 07.05.2004 को पारित करते हुए निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 पर पैरा संख्या 13 से जो विवेचन किया गया है उसमें राजाराम को सहीराम का वारिस माना गया तथा आवंटन का पात्र माना गया है तथा अस्थाई काश्त हेतु नियम 1955 के नियम संख्या 4एफ में काश्तकार की परिभाषा में काश्तकार के उत्तराधिकारियों को शामिल माना है। तथा इसी आधार पर आवंटन का पत्र मानकर पत्रावली 07.05.2004 के निर्णय के अनुसरण में कार्यवाही किये जाने हेतु अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के समक्ष सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की गई। अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में निर्णय पारित करना नहीं पाया जाता है। तथा उक्त निर्णय दिनांक 28.03.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में स्वयं अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर अपील को 14.02.2006 को खारिज कर दिया गया। जबकि पूर्व निर्णय दिनांक 07.05.2004 की पालना नहीं किये जाने के तथ्य को नजरअंदाज किया गया तथा प्रार्थी की आवंटन की पात्रता भूमि की आवंटन हेतु उपलब्धता बाबत जो निष्कर्ष अपनी अन्तिमता को पहुंच चुके थे इसके विपरीत निर्णय पारित कर अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ ने जो निर्णय दिनांक 28.03.2005 को तथा राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर ने जो निर्णय दिनांक 14.02.2006 को पारित किया वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य पाये जाते है तथा उपरोक्त 9 बीघा भूमि को नियमानुसार राशि लेकर पुख्ता आवंटन का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी का आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2006 तथा अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2005 निरस्त किये जाते है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कोलो निगरानी संख्या 2006/2226/गंगानगर राजाराम बनाम राजस्थान सरकार

	(मोडू दान देथा) सदस्य	